फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री ईन्दरसिंह | **विपक्षी : श्री परबतसिंह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 45/20**

जीसीएमएस : 2020/00199

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 09.12.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 5 से 7 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी आराजी नम्बर 1209/428 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद बंटवाडे का प्रस्तुत किया गया हैं जिसमें प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाना चाह रहा हैं जब तक वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं कर सकता हैं क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर हक हिस्सा निहित हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में इस आदेश की अस्थाई निषेधाज्ञा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:10 IST
Reason: SelfAttested

जारी की जाती है कि मौजा देवाली पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी आराजी नम्बर 1209/428 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षीगण एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे। एक दूसरे को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:41:10 IST
Reason: SelfAttested